निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1116) पटना, बुधवार, 18 जून 2025

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

अधिसूचना
19 मई 2025

सं० जी०सां०–07 / 2022–714––जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) एवं (5) तथा धारा 10 की उपधारा (1) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या–232 दिनांक–24.02.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिसूचना की कंडिका–1 के क्रमांक–3 पर अंकित प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के स्थान पर पंचायत सचिव को संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है।

2. इससे संबंधित पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या–232 दिनांक–24.02.2023 की कंडिका–1 के क्रमांक–3 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. उक्त अधिसूचना की कंडिका–3 के क्रमांक–1 पर अंकित प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को विलोपित किया जाता है।

4. उक्त अधिसूचना की कंडिका–4 के क्रमांक–1 पर अंकित अपने ग्रामीण कार्यक्षेत्र के लिए, अधिसूचित अधिसूचक से पंचायत सचिव को विलोपित किया जाता है।

5. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के० सेंथिल कुमार,
प्रधान सचिव।

The 19th May 2025

No. Ji Sa.-07 /2022-714--In exercise of the power conferred by Sub-sections (1) and (5) of Section 7 and Sub-section (1) (iii) of section 10 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, the partial amendment in Notification No. 232 dated 24-02-2024, for the rural area of the block concerned mentioned at Serial No. 3 of Clause 1 of the said notification, in place of the Block Statistical Officer, Registrar (Birth and Death), the Panchayat Secretary is appointed as the Registrar (Birth and Death) for the concerned Gram Panchayat area.

2. The serial no. 3 of clause 1 of earlier notification issued related to this, vide No- 232 dated- 24.02.2023 shall be deemed to have been amended to this extent.

3. For the rural area of the Block Concerned mentioned at serial no 1 of clause 3 of the said notification, the post of Junior Field Investigator, Sub-Registrar (Birth and Death) is deleted.

4. For its rural area of the work mentioned at serial no 1 of clause 4 of the said notification, the Panchayat Secretary is deleted from the notified list.

5. This notification will be effective from the date of issue.

By the order of Governer of Bihar,
K. Senthil Kumar,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1116-571+500-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in